

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ 5/अभि./सीटीएडी/विविध एनिकट/2019-20/

दि. 28/9/2021

उपायुक्त,

28655-64

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

बांसवाड़ा ।

विषय- बियापाडा तालाब की बायी स्लूस एवं बायी नहर का मरम्मत कार्य ग्रा.प. बावडीपाडा पं.स. सज्जनगढ की राशि के क्रम में।

प्रसंग- आपका पत्रांक 3944-46 दिनांक 07.09.2021 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 25560-70 दिनांक 24.10.2020 बियापाडा तालाब की बायी स्लूस एवं बायी नहर का मरम्मत कार्य ग्रा.प. बावडीपाडा पं.स. सज्जनगढ की वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 199.91 लाख जारी की गई।

उपरोक्त कार्य हेतु आयुक्तालय के पी.डी. खाते में विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की निम्नलिखित स्वीकृति में प्राप्त राशि में से उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा को द्वितीय किश्त की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक	विभाग द्वारा अब तक हस्तांतरित राशि	द्वितीय किश्त हेतु देय राशि(लाखों में)
1.	56/2020-21/03.03.21	80.00	50.00

उपरोक्त कार्य की राशि कार्यादेश अनुसार, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, मांग अनुसार कार्यकारी एजेन्सी जल संसाधन विभाग को नियमानुसार हस्तांतरित की जावे। उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को प्रेषित करावे।

(प्रज्ञा कवलरमानी) IAS

आयुक्त

क्रमांक एफ 5/अभि./सीटीएडी/ विविध एनिकट/2019-20/28655-64 दि. 28/9/2021

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, मां. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उदयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत बांसवाड़ा ।
5. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड बांसवाड़ा
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-56/2020-21 में प्राप्त राशि में से 50.00 लाख रु. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा को हस्तांतरित करें।
7. निदेशक, मोनितरिंग कार्यालय हाजा ।
8. उप निदेशक (कम्प्यूटर), कार्यालय हाजा ।
9. गार्ड फाईल ।

अति. आयुक्त (द्वितीय)